मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जमानत संख्या 8835 वर्ष 2018 रवि बनाम उ0प्र0 सरकार में पारित आदेशों दिनांक 30.10.2018, 15.11.2018, 29.11.2018, 12.02.2019, 25.03.2019, 29.04.2019 अगली नियत तिथि 10.07.2019

अति आवश्यक/महत्वपूर्ण समयबद्ध

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

आठवाँ तल, टावर–4, सिग्नेचर बिल्डिंग, गोमतीनगर विस्तार, अमर शहीद पथ, लखनऊ–226027

पत्रॉक: टीएस–सीसीटीएनएस–81/2010–10 **दिनांक: मई 20, 2019**

सेवा में

1. अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उप महानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र, उत्तर प्रदेश।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
4. पुलिस अधीक्षक, रेलवे, समस्त अनुभाग, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जोन/ परिक्षेत्र/ जनपद कोऑर्डिनेटर, उत्तर प्रदेश।

विषय:– सीसीटीएनएस योजनान्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय द्वारा विवेचना के डिजिटाइजेशन हेतु निर्गत निर्देश के कम में हार्डवेयर व सामग्री Desktop, UPS, Printer, Paper, Toner कय हेतु एवं कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यूपीएस, बैटरी एवं सहवर्ती उपकरणों की मरम्मत हेतु सीसीटीएनएस के अन्तर्गत थानों एवं कार्यालयों हेतु आवंटित बजट के प्रभावी कियान्वयन मानीटरिंग हेतु **Mobile App and web based inventory management module** के दृष्टिगत दिशा निर्देश के संबंध में।

कृपया अवगत कराना कि जमानत याचिका संख्या: 8835/2018 रवि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/ निर्देशों/ आदेश दिनांक: 30.10.2018, 15.11.2018, 29.11.2018, 12.02.2019, 25.03.2019, 29.04.2019 के अनुपालन में सीसीटीएनएस योजना के प्रभावी संचालन, अनुश्रवण एवं कियान्वयन हेतु समुचित कार्यवाही के अनुश्रवण हेतु अगली नियत तिथि 10.07.2019 पर मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में निर्दिष्ट कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

2. उक्त जमानत याचिका में दिनांक 29.04.2019 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में सीसीटीएनएस योजना के प्रभावी संचालन, अनुश्रवण एवं कियान्वयन हेतु सुनवाई की गयी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा **विवेचना के डिजिटाइजेशन** हेतु निर्गत निर्देश के कम में हार्डवेयर व सामग्री Desktop, UPS, Printer, Paper, Toner कय हेतु एवं कम्प्यूटर, प्रिन्टर, यूपीएस, बैटरी एवं सहवर्ती उपकरणों की मरम्मत हेतु सीसीटीएनएस के अन्तर्गत थानों एवं कार्यालयों हेतु बजट आवंटित किया गया है जिसके माध्यम से सीसीटीएनएस के अन्तर्गत कियान्वयन/प्रभावी संचालन में उपरोक्त आवश्यकताओं/ जरूरतों को जिनसे विवेचना के डिजिटाइजेशन के कियान्वयन में प्रभावी रूप से कार्यवाही सम्पादित हो सके।

3. इस प्रकिया के सतत अनुश्रवण हेतु Mobile App and web based inventory management module उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ द्वारा विकसित किया जा रहा है।

4. उक्त ऐप्प में सम्बन्धित विवेचक/ थानाध्यक्ष सीसीटीएनएस के प्रभावी संचालन में उपयोगी प्रत्येक आवश्यकताओं एवं जरूरतों को पोस्ट करेंगें जिस पर समयबद्ध तरीके से अधिकतम 15 दिवस में सम्बन्धित जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक द्वारा उनकी आपूर्ति थाना स्तर पर सुनिश्चित कर दी जायेगी। इस प्रकार सम्बन्धित विवेचक पूर्व में ही अपनी आवश्यकताओं की मॉग इस ऐप्प के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे, जिससे जरूरत पड़ने तक उनकी आपूर्ति थाना स्तर पर हो सके। इस प्रकार उ0 प्र0 शासन एवं उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय द्वारा सीधे जनपदों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि का थाना स्तर पर समयबद्ध तरीके से सदुपयोग कराया जा सके, और इसकी मानीटरिंग अपने निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस प्रमुख वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक/ पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र, अपर पुलिस महानिदेशक जोन, उ0 प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ, उ0 प्र0 पुलिस मुख्यालय, वित्त विभाग, उ0 प्र0 शासन द्वारा किया जा सकेगा।

5. यह Mobile App and web based inventory management module उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ द्वारा विकसित किये जाने के उपरान्त अनुमानित 15 दिवस में तैयार हो जाने पर जनपदों को उपरोक्त के कियान्वयन हेतु भेजा जायेगा जिसके माध्यम से उपरोक्त के संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

20/5

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0 प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0 प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 लखनऊ।
3. दिग्विजय, कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए, उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि समस्त कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–ए को क्यूमेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने व अभिलेखार्थ रिपोर्ट उपलब्ध कराये जाने हेतु।
4. प्रभारी सीसीटीएनएस को पत्रावली पत्रांकःटीएस–सीसीटीएनएस–98/2018 हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी ईमेल को पत्र मेल व वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।